

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 651/आउशि/गो.प्र./08
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-12-2008

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषय:- प्राध्यापको को वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदाय करने के संबंध में ।

-0-


माह अक्टूबर में विभाग की वेबसाईट के माध्यम से आपको सूचित किया था कि यदि किसी महाविद्यालय में किसी भी सहायक प्राध्यापक का वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदाय करने का प्रकरण लंबित रहा है तो संबंधित प्राचार्य को जिम्मेदार ठहराया जायेगा । इस कार्य के लिये 10-11-08 की समयावधि भी निर्धारित की गई थी ।

कतिपय महाविद्यालयों ने रुचि लेकर अच्छा कार्य किया है तथा लगभग 750 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, लेकिन अधिकांश महाविद्यालयों से वरियता प्राप्त शिक्षको के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ।

मैं आपको पुनः आगाह करना चाहता हूँ कि सहायक प्राध्यापको की निर्धारित योग्यता के अनुसार स्थानन करने के लिये निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रकरण प्रमाणित दस्तावेज के साथ संलग्न कर आपके माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 5-12-08 तक भेजे ।

निर्धारित तिथि के पश्चात यदि किसी सहायक प्राध्यापक का वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान का आवेदन प्राचार्य कार्यालय से प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही कर, तदपश्चात उस प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र को समस्त सहायक प्राध्यापको से हस्ताक्षरित कर अपने कार्यालय में एक प्रति सुरक्षित रखे और समस्त प्राध्यापक की एक हस्ताक्षरयुक्त प्रति मुझे दिनांक 8-1-09 तक भिजवाये ।


(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 652/आउशि/गोप्र/08/2/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 2-12-2008

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।

Ashish
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.